प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-17 मार्च, 2020

विषयः- कारागारों में ई-प्रिजन कार्ययोजना के सुदृढीकरण के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-35572/आधु-2/ई-प्रिजन, दिनांक-11.12.2019 के सन्दर्भ में कारागारों में ई-प्रिजन कार्ययोजना के सुदृढीकरण हेतु रू0 81.00 लाख (रूपया इक्यासी लाख मात्र) की व्यवस्था पुनर्विनियोग विषयक शासनादेश संख्या-1104(1)/22-4-2019-48(30)/14, दिनांक 31 जनवरी, 2020 (प्रति संलग्न) द्वारा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल कारागारों में ई-प्रिजन कार्ययोजना के सुदृढीकरण के लिए सभी कारागारों में कम्प्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति/स्थापना के दृष्टिगत इस चरण में 03 लैपटाप, 105 डेस्कटाप, 105 आल इन वन लेजर प्रिन्टर, 105 यूपीएस 1000वीए क्षमता के एवं 120 फिन्गर प्रिन्ट स्कैनर की व्यवस्था जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु रू0 81,00,000/- (रूपया इक्यासी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) सरकारी विभागों में विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप कम्प्यूटर के कार्यों के सम्पादन/संचालन हेतु आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1703/78-2-2-2017/1235, दिनांक 01.08.2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेग।

(2) कम्प्यूटर एवं उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये नियमानुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 व अन्य सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) उपकरणों का क्रय करते समय क्रय संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(4) उक्त उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(5) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0ए0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

(8) जैम पोर्टल् के माध्यम से उपकरणों को खरीदने पर उनको जिन कारागारों में प्रतिस्थापित किया गया है उसकी सूची एवं सम्बन्धित कारागार अधीक्षक से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-17-ई प्रिजन कार्ययोजना-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर क्रय" के मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019-बी-1-170-दस/2019-231/2019, दिनांक मार्च 22, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-17/2020/152/22-4-2020, तद्दिनांकित -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in